

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 138/2022

वादीगण-

1. दीलाराम उर्फ दयालराम पुत्र गोरखाराम, जाति-नायक निवासी- गोठ, तहसील-जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. जगदीश पुत्र उमाराम
2. मनीराम पुत्र उमाराम
3. भंवरी पत्नी उमाराम
जातियान-नायक निवासीगण-गोठ, तहसील-जायल।
4. शिवलाल पुत्र उमाराम ना.बा
5. सहदेव पुत्र उमाराम ना.बा दोनों जरिये संरक्षक वलिया माता भंवरी पत्नी उमाराम जाति
नायक निवासी गोठ, तहसील-जायल, नागौर
6. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :-


1. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री इस्लामुदीन काजी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्री आदेश :: - दि. 26/12/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हाजरी श्री इस्लामुदीन काजी अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि- यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88.53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा गोठ के खेत खसरा नंबर 328/127 का विभाजन सहखातेदारान् वादी एवं प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मध्य किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी दयालराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गोठ का खेत खसरा नंबर 328/127 रकबा 0.6799 हैक्टेयर में से 0.3399 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनकशानुसार रखा गया है।



प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गोठ का खेत खसरा नंबर 328/127 रकबा 0.6799 हैक्टेयर में से 0.3400 हैक्टेयर उत्तरी भाग नजरीनकशानुसार रखा गया है।

नोट- बैंक के रहन के संबंध में, बैंक रिकार्ड में अद्यतन हेतु संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 26/12/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जयल (नागौर)

तीज - मुबलिग - बाबत् - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26/12/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

(ओमप्रकाश वर्मा)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जयल (नागौर)